पुस्तकालय

7 दिसम्बर, 2006

सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाते हैं और वे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर बेहद महत्वपूर्ण अंग हैं। इस बात पर व्यापक रूप से सहमति है कि पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र में सुधार करना तत्काल आवश्यक है। इस दिशा में सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विशेषज्ञों और इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के कार्य दल सहित विविध हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया है। पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र में रणनीतियाँ बनाने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

1. **पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना:** केन्द्र सरकार को एक स्थाई, स्वतंत्र और वित्तीय दृष्टि से स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना करनी चाहिए, जो वैधानिक संस्था के रूप में काम करे और भारत के नागरिकों की सूचना पाने तथा सीखने की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे। मिशन के रूप में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तत्काल राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया जाना चाहिए। इस मिशन का कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए।

2. **सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना की तैयारी करना:** राष्ट्रव्यापी सर्वे के माध्यम से सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना की जानी चाहिए। पुस्तकालयों के बारे में गणना के आँकड़े जमा करने से योजना के लिए बुनियादी जानकारी मिल सकेगी। संस्कृति विभाग ने इस काम के लिए जो कार्यदल गठित किया है, उसे वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन मिलना चाहिए ताकि वह यह काम कर सके और प्राथमिकता के आधार पर (एक वर्ष के भीतर) सर्वेक्षण पूरा कर सके। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तहत समय–समय पर राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों का उपयोग करने वालों की आवश्यकताओं और पढ़ने की आदतों का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए।

3. **पुस्तकालय और सूचना सेवा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं में सुधार करना:** पुस्तकालयों के बारे में प्रस्तावित मिशन/आयोग को जल्दी से जल्दी देश में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के प्रबंध के क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए और पुस्तकालय तथा सूचना सेवा शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। इस क्षेत्र को नवीनतम घटनाओं और अविष्कारों की लगातार जानकारी देते रहने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान की स्थिति का आकलन करने के बाद अनुसंधान गतिविधियों को ज़रूरी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान तथा सेवाओं के क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सभी सुविधाओं से लैस संस्थान की स्थापना से इस काम में आवश्यक गति मिल सकेगी।

4. **पुस्तकालयों में कर्मचारियों की आवश्यकता का दोबारा आकलन:** बदले हुए संदर्भों में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों और पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विभागों के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करना आवश्यक है। ऐसा करते समय कार्य के विवरण, योग्यताओं, पदों, वेतनमानों, कैरियर में उन्नति के अवसरों, सेवा शर्तों आदि को ध्यान में रखना ज़रूरी है।

5. **केन्द्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना करना:** केन्द्र और राज्य सरकारों के शिक्षा बजट का एक निश्चित अनुपात पुस्तकालयों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगले तीन से पाँच वर्ष के भीतर मौजूदा पुस्तकालयों का स्तर सुधारने के लिए एक केन्द्रीय पुस्तकालय कोष बनाया जाना चाहिए। शुरू में सरकारी क्षेत्र से इस कोष में 1000 करोड़ रुपए की राशि दी जा सकती है। फिर निजी क्षेत्र अपनी परोपकारी योजनाओं के माध्यम से इतनी ही रकम दे सकता है। इस कोष का प्रशासन पुस्तकालयों के बारे में राष्ट्रीय मिशन/आयोग के हाथ में होना चाहिए।

6. **पुस्तकालय प्रबंध को आधुनिक बनाना:** पुस्तकालय इतने व्यवस्थित और उनके कर्मचारी इतने प्रशिक्षत होने चाहिए कि वे हर दृष्टि से उपयोग करने वालों (विशेष समूहों सहित) के लिए उपयोगी साबित हों। संस्थानों का अधिकतम उपयोग करने के लिए सहयोग के अभिनव तरीके अपनाकर विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की विशेषताओं को एकजुट करने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव है कि एक मॉडल लाइब्रेरी चार्टर, पुस्तकालयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची, लाइब्रेरी नेटवर्क और एक राष्ट्रीय संदर्भ सूची भंडार बनाया जाए।

7. **पुस्तकालय प्रबंध में समुदाय की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना:** पुस्तकालयों के प्रबंध से जुड़े फैसले करने की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों और उपयोग करने वालों के समूहों को शामिल करना आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रबंध उनका इस्तेमाल करने वालों की समितियों के माध्यम से किया जाए। इन समितियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी हों और यह इतनी स्वायत्त हों कि समुदाय के सहयोग से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के फैसले स्वयं ले सकें। किसी भी स्थानीय क्षेत्र में पुस्तकालयों को ज्ञान आधारित अन्य सभी गतिविधियों से जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि समुदाया आधारित सूचना तंत्र विकसित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण पुस्तकालयों/समुदाया ज्ञान केन्द्रों की जिम्मेदारी पंचायतों के हाथ में होनी चाहिए। इनकी स्थापना स्कूलों के अहातों में या उनके निकट की जानी चाहिए।

8. **सभी पुस्तकालयों में सूचना संचार टैक्नॉलॉजी (आईसीटी) के उपयोग को बढ़ावा देना:** सभी पुस्तकालयों में उपलब्ध ग्रंथों और संदर्भ सामग्री की सूची स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की वेबसाइट्स पर आवश्यक लिंक्स के साथ दी जानी चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों को आपस में जोड़ा जा सकेगा और एक राष्ट्रीय संदर्भ सूची भंडार बनाया जा सकेगा। साथ ही आधुनिकतम सूचना संचार टैक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वेब पर केन्द्रीय सामूहिक पूछताछ तंत्र की स्थापना की जा सकेगी। ज्ञान के संसाधन सबके लिए समान रूप से सुलभ कराने हेतू पुस्तकालयों को इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न भाषाओं में पढ़ने लायक उपयोगी सामग्री को इस तरह डिजिटल स्वरूप प्रदान करें, जिसका सभी स्तरों पर उपयोग किया जा सके। सार्वजनिक धन से चलने वाले शोध और अनुसंधानों से तैयार ऐसे शोध पत्रों को खुले माध्यमों से सबके लिए सुलभ कराया जाना चाहिए, जिनकी साथियों ने समीक्षा की हों। इन पर कॉपीराइट के नियम लागू होने चाहिए। आयोग की सिफारिश है कि इस काम के लिए खुले मानक और निःशुल्क तथा मुक्त सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

9. **निजी संग्रहों के दान को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना:** भारत में ऐसे अनेक समृद्ध निजी और व्यक्तिगत संग्रह होंगे, जिन्हें पहचान कर भावी पीढ़ियों के लिए संकलित और संरक्षित करना आवश्यक है। निजी संग्रहों की पहचान के लिए एक विकेन्द्रीत मॉडल तैयार करना आवश्यक है, साथ ही संगठनों को सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से दान में मिले निजी संग्रहों को ग्रहण करने और संरक्षित रखने के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है। राष्ट्रीय मिशन/आयोग किसी प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में निजी और व्यक्तिगत संग्रह समिति का गठन कर सकता है। देश में निजी/व्यक्तिगत संग्रहों के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में इस काम के लिए निश्चित कार्यादेश के साथ दस क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाएँ।

10. **पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास में सार्वजनिक–निजी साझीदारी को बढ़ावा देना:** लोकोपकारी संगठन, औद्योगिक घरानों और अन्य निजी एजेंसियों को वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वे मौजूदा पुस्तकालयों को सहारा दें या नए पुस्तकालय खोलें। पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र की विशेष सूचना संचार टैक्नॉलॉजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने में समाज की प्रतिभा का उपयोग किया जा सकता है।

विभिन्न क्षेत्रों के भीतर पुस्तकालयों के समन्वित विकास में मदद देने, पुस्तकालय क्षेत्र के लिए अपेक्षित वैधानिक ढाँचा तथा कानूनी और वित्तीय सहारा प्रदान करने के लिए सरकार को धीरे–धीरे इस बात पर विचार करना चाहिए कि पुस्तकालयों को भारत की संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। ऐसा करते समय पुस्तकालयों के प्रति राज्यों के मौजूदा दायित्वों को किसी भी रूप में समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।